



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक-5, डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

www.rajsmsa.nic.in

फोन नं: 0141-2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईडी/2020-21/13787

दिनांक : 17/8/2020

दिशा-निर्देश

विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु ऑनलाईन शिक्षण

समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अन्तर्गत दिव्यांजन अधिकार अधिनियम-2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) में वर्णित दिव्यांगता की सभी 21 श्रेणियों के विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को संदर्भ व्यक्ति (CWSN) एवं विशेष शिक्षकों द्वारा शैक्षिक एवं थैरेपिक सम्बलन प्रदान किया जा रहा है। कोविड-19 के मध्यनजर विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के अध्ययन-अध्यापन का कार्य ऑनलाइन किया जाना है। शिक्षा विभाग एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा कोविड-19 में बालक-बालिकाओं के शिक्षण कार्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न ऑनलाइन शिक्षण कार्य यथा शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, स्माईल आदि संचालित कर नवाचारों से लाभान्वित किया जा रहा है। विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को ऑनलाइन शैक्षिक संबलन, थैरेपिक संबलन/परामर्श का कार्य निम्नानुसार व्हाट्सअप ग्रुप तैयार कर किया जाना है :-

1. State Resource Group (SRG) for Online Learning of CWSN :-

श्रवणबाधित विद्यार्थियों (HI) हेतु राजकीय आनन्दी लाल पोदार बधिर विद्यालय, जयपुर एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों (VI) हेतु राजकीय प्रज्ञा चक्षु अंध उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर द्वारा नोडल एजेन्सी के रूप में शिक्षण सामग्री निर्माण एवं चयन का कार्य किया जायेगा। नोडल एजेन्सी को State Resource Group के सदस्य शैक्षणिक सामग्री निर्माण में सहयोग करेगे।

2. State Online Learning Group of CWSN :-

यह समूह परिषद कार्यालय के समावेशी शिक्षा प्रकोष्ठ की निगरानी में कार्य करेगा। इस समूह में State Resource Group (SRG) एवं समस्त जिलों के समावेशी शिक्षा प्रभारी सदस्य होंगे। नोडल एजेन्सी द्वारा तैयार एवं चयन की गई शिक्षण सामग्री इस समूह में साझा की जावेगी।

3. District Online Learning Group of CWSN :-

यह समूह जिला समन्वयक/समावेशी शिक्षा प्रभारी द्वारा अति० जिला परियोजना समन्वयक के निर्देशन में तैयार किया जावेगा। State Group से प्राप्त सामग्री जिला समूह में प्रेषित की जायेगी। जिला ग्रुप में जिले के समस्त संदर्भ व्यक्ति (CWSN) एवं राजकीय विशेष विद्यालयों के विशेष शिक्षक सदस्य होंगे।

4. Block Online Learning for CWSN :-

ब्लॉक में विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं की संख्या के अनुसार ब्लॉक/स्कूल स्तरीय व्हाट्सअप ग्रुप तैयार किये जायेंगे। ये ग्रुप प्रत्येक श्रेणी के विद्यार्थियों हेतु कक्षावार पृथक-पृथक होंगे। जिला समूह से प्राप्त सामग्री इन समूहों में संदर्भ व्यक्ति (CWSN) /विशेष शिक्षकों द्वारा प्रेषित की जायेगी।

5. अन्य उल्लेखनीय बिन्दु निम्नानुसार है :-

- राज्य सरकार के निर्देशानुसार बोर्ड कक्षाओं एवं अन्य कक्षाओं के पाठ्यक्रम के मासिक विभाजन अनुसार शिक्षण सामग्री (E-Content) की उपलब्धता ग्रुप में सुनिश्चित की जावेगी।
- शाला दर्पण व RSCERT से मैसेज, डिजाईनिंग एवं Google Feedback Form इत्यादि कार्यों में तकनीकी सहयोग लिया जायेगा।
- शैक्षणिक सामग्री की Competency, Mapping & Designing इत्यादि कार्यों में राजकीय आनन्दी लाल पोदार बधिर विद्यालय, जयपुर एवं राजकीय प्रज्ञा चक्षु अंध उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- वर्तमान परिस्थितियों में CWSN के शिक्षण हेतु विशेष शिक्षकों/संदर्भ व्यक्तियों (CWSN) द्वारा अभिभावकों से संवाद कर प्रभावी एवं उपयोगी जानकारी प्रदान की जायेगी।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षकों द्वारा प्रतिदिवस कम से कम 5 विद्यार्थियों व अभिभावकों से कॉलिंग द्वारा संपर्क कर शिक्षण कार्य से लाभान्वित किया जायेगा।
- SMILE के द्वारा उपलब्ध वीडियो के अलावा इन्टरनेट पर उपलब्ध उपयोगी शिक्षण सामग्री का चयन भी किया जायेगा। सामग्री चयन में कॉपीराइट का ध्यान रखा जायेगा।
- यू-ट्यूब चैनल, माईक्रोसॉफ्ट टीम एप, व्हाट्सएप के माध्यम से भी शिक्षण कार्य किया जा सकता है।
- शिक्षकों/विद्यालयों द्वारा यू-ट्यूब चैनल पर निर्मित पाठ्यक्रम से संबंधित शैक्षणिक सामग्री का वीडियो लिंक भी शिक्षण कार्य हेतु साझा किया जाये।
- प्रेषित सामग्री के संबंध में अभिभावकों से ऑनलाइन फीडबैक लिया जाये तथा प्रत्येक दिवस प्रेषित सामग्री के अनुसार बच्चों को गृहकार्य भी दिया जाये।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN) एवं विशेष शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार वीडियो तैयार कर कलस्टर अनुसार बच्चों को कक्षावार अध्यापन में स्वयं द्वारा निर्मित वीडियो या शैक्षणिक सामग्री का भी उपयोग किया सकेगा।

श्रेणीवार विद्यार्थियों हेतु विस्तृत मार्गदर्शन निम्नानुसार है :-

1. श्रवणबाधित (HI) विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु :-

- शिक्षण सामग्री व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से State Level Group से जिले को भिजवायी जायेगी एवं जिले द्वारा समस्त ब्लॉक को साझा की जायेगी।
- ब्लॉक स्तर पर तैयार किये गये कक्षावार ग्रुप में विषयवार पाठ्यक्रम सामग्री को प्रेषित किया जायेगा।
- प्रेषित वीडियो पाठ्यक्रम सामग्री का लिखित स्वरूप भी स्कैन कर ग्रुप में प्रेषित किया जायेगा।
- अभिभावक/CWSN को प्रेषित वीडियो एवं शिक्षण सामग्री से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षक एवं विषय अध्यापक द्वारा आपसी समन्वय से किया जायेगा।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षकों (HI) द्वारा प्रतिदिवस कम से कम 5 विद्यार्थियों व अभिभावकों से कॉलिंग द्वारा संपर्क कर शिक्षण कार्य से लाभान्वित किया जायेगा।
- विषयवार साप्ताहिक कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा :-

साप्ताहिक कार्यक्रम :-

दिवस	कक्षा				
	1 एवं 2	3 से 5	6 से 8	9 एवं 10	11 एवं 12
सोमवार	हिन्दी	हिन्दी	हिन्दी	हिन्दी	हिन्दी अनिवार्य
मंगलवार	गणित	गणित	गणित	अंग्रेजी	अंग्रेजी अनिवार्य
बुधवार	अंग्रेजी	पर्यावरण	अंग्रेजी	गणित	ऐच्छिक 1
गुरुवार	हिन्दी	अंग्रेजी	विज्ञान	सामाजिक विज्ञान	ऐच्छिक 2
शुक्रवार	अंग्रेजी	गणित	सामाजिक विज्ञान	विज्ञान	ऐच्छिक 3
शनिवार	गृहकार्य	गृहकार्य	गृहकार्य	गृहकार्य	गृहकार्य

- कम से कम एक इकाई की संपूर्ण शैक्षणिक सामग्री एवं प्रश्नोत्तर को एक बार में साझा किया जायेगा।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षक (HI) द्वारा साप्ताहिक कार्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाकर फोलोअप किया जायेगा।
- श्रवणबाधित विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर कक्षा 10वीं एवं 12वीं हेतु पाठ्यक्रम (Question Bank) उपलब्ध है। शेष कक्षाओं हेतु निर्धारित प्रश्न बैंक एवं पाठ्यक्रम सामग्री तैयार कर उपलब्ध करवायी जायेगी।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षक द्वारा व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से अधिकतम सात बालक-बालिकाओं का कक्षावार ग्रुप तैयार कर पाठ का अध्यापन कार्य किया जायेगा।
- विशेष शिक्षकों एवं संदर्भ व्यक्तियों (CWSN) द्वारा भी क्लस्टर अनुसार विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुरूप वीडियो, पाठ्य सामग्री/पाठ योजना तैयार कर उपयोग किया जा सकेगा।
- श्रवण बाधित बालक-बालिकाओं से सम्प्रेषण हेतु की जाने वाली समस्त गतिविधियों (लिप रीडिंग, साईन लैंग्वेज) को शामिल करते हुए मोबाइल एवं लैपटॉप के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जायेगा।

2. बौद्धिक अक्षमता (ID) विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु :-

- बौद्धिक अक्षमता वाले बालक-बालिका हेतु SRG द्वारा विषयवार, दैनिक क्रियाकलाप (ADL-Activities of daily living) इत्यादि हेतु शैक्षणिक सामग्री का निर्माण एवं चयन किया जायेगा।
- शिक्षण सामग्री व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से State Level Group से समस्त जिलों को भिजवायी जायेगी एवं जिलों द्वारा समस्त ब्लॉक को सांझा की जायेगी।
- ब्लॉक स्तर पर तैयार किये गये कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप में विषयवार पाठ्यक्रम सामग्री प्रेषित की जायेगी।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षक (MR) द्वारा बौद्धिक अक्षमता वाले विद्यार्थियों एवं गृह आधारित शिक्षण (Home Based Education) वाले बालक-बालिकाओं के अभिभावकों को दैनिक क्रियाकलाप, थैरेपी, शैक्षिक संबलन इत्यादि के लिए दूरभाष पर आमुखीकरण किया जाएगा और ऑनलाइन फीडबैक फार्म भरा जायेगा।

- संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षक (MR) द्वारा गृह आधारित शिक्षण (Home Based Education) वाले बालक-बालिकाओं को उचित सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए आवश्यकतानुसार Home visit कर संबलन प्रदान करेंगे।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षकों (MR) द्वारा प्रतिदिवस कम से कम 5 विद्यार्थियों व अभिभावकों से कॉलिंग द्वारा संपर्क कर शिक्षण कार्य से लाभान्वित किया जायेगा।
- शिक्षण कार्य हेतु पाठ्यक्रम के प्रेषित वीडियो को विद्यार्थी के शिक्षण कार्य हेतु अभिभावक/भाई-बहिन से शिक्षण गतिविधियों को पूर्ण करने में सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
 - ✓ वस्तुओं के माध्यम से।
 - ✓ खेलों के माध्यम से।
 - ✓ विभिन्न प्रकार की गतिविधि द्वारा (मिलान, करना, चुनना, अलग-अलग करना पहचानना, समायोजन)
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षक (MR) द्वारा शैक्षणिक कार्य हेतु लेखन पठन का गृह कार्य दिया जाये तथा अभिभावकों द्वारा करवाये गये गृह कार्य का मूल्यांकन किया जाये।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षक (MR) द्वारा बालक-बालिकाओं के त्रुटि सुधारात्मक कार्य वीडियो प्रेषित कर करवाया जायेगा। पुनः फीडबैक लेकर शैक्षिक उन्नयन का कार्य पूर्ण करवाया जायेगा।
- विषयवार साप्ताहिक कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा :-

साप्ताहिक कार्यक्रम :-

वार	कक्षा		
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक
सोमवार	Activities of daily living	Activities of daily living	Activities of daily living
मंगलवार	Activities of daily living	कार्यात्मक शिक्षण हिन्दी	कार्यात्मक शिक्षण हिन्दी
बुधवार	कार्यात्मक शिक्षण अंग्रेजी	कार्यात्मक शिक्षण अंग्रेजी	कार्यात्मक शिक्षण अंग्रेजी
गुरुवार	कार्यात्मक शिक्षण हिन्दी	कार्यात्मक शिक्षण गणित	कार्यात्मक शिक्षण गणित
शुक्रवार	कार्यात्मक शिक्षण गणित	कार्यात्मक शिक्षण गणित	कार्यात्मक शिक्षण विज्ञान
शनिवार	खेल (Out door/Indoor) / प्रगति जाँच	खेल / प्रगति जाँच	खेल / प्रगति जाँच

- कम से कम एक इकाई की संपूर्ण शैक्षणिक सामग्री एवं प्रश्नोत्तर को एक बार में साझा किया जायेगा।

* कार्यात्मक शिक्षण :-

- स्वर-व्यंजन पहचान/पठन पाठन।
- गिनती पहचान, जोड़-बाकी, गुणा-भाग
- अंग्रेजी वर्णमाला पहचान एवं वाक्य।
- समय, रुपये-पैसे का ज्ञान।
- आकृति, कलर, वस्तुओं की पहचान।
- सामान्य विज्ञान की अवधारणा।

3. दृष्टिबाधित (VI) विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु :-

- शिक्षण सामग्री व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से State Level Group से जिले को भिजवायी जायेगी एवं जिले द्वारा समस्त ब्लॉक को साझा की जायेगी।
- ब्लॉक स्तर पर तैयार किये गये कक्षावार ग्रुप में विषयवार पाठ्यक्रम सामग्री को प्रेषित किया जायेगा।
- अभिभावक/CWSN को प्रेषित वीडियो एवं शिक्षण सामग्री से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षक (VI) एवं विषय अध्यापक द्वारा आपसी समन्वय से किया जायेगा।
- पूर्ण दृष्टिबाधित (Blindness) बालक-बालिकाओं को डेजी प्लेयर, मोबाइल फोन, एवं लैपटॉप वितरित कर इसके सुगम उपयोग हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। विद्यार्थियों को इन उपकरणों के माध्यम से भी शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।
- पाठ्य पुस्तकों को आरएससीईआरटी, उदयपुर के माध्यम से Accessible Format में परिवर्तित किया गया है। नोडल एजेन्सी एवं State Resource Group द्वारा Accessible Textbooks को State Group से District Resource Group में साझा किया जायेगा।
- Accessible Textbooks को पढ़ने के लिए मोबाइल में Simple Reading/Kota Daisy Reader App इंस्टॉल किया जायेगा। Talk Back user Guideline भी साझा की जायेगी।
- विद्यार्थियों को Simple Reading/Kota Daisy Reader App उपयोग करने में कठिनाई आने पर संदर्भ व्यक्तियों (CWSN)/विशेष शिक्षकों (VI) द्वारा समाधान किया जायेगा।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षकों (VI) द्वारा प्रतिदिवस कम से कम 5 विद्यार्थियों व अभिभावकों से कॉलिंग द्वारा संपर्क कर शिक्षण कार्य से लाभान्वित किया जायेगा।
- स्माइल कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली समस्त सामग्री भी दृष्टिबाधित (VI) विद्यार्थियों हेतु निर्मित समूह में प्रेषित की जायेगी।
- SRG एवं नोडल एजेन्सी द्वारा पाठ्यपुस्तकों के महत्वपूर्ण एवं कठिन भाग को ऑडियो बनाकर ग्रुप में प्रेषित किया जायेगा।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षक (VI) द्वारा ब्लॉक के समस्त दृष्टिबाधित बालक-बालिकाओं को ब्रेल डॉट्स पढ़ाया जायेगा।
- जमा पाठ्यक्रम (Plus Curriculum) यथा ब्रेल, अबेकस, टेलरफ्रेम इत्यादि के लिए एसआरजी द्वारा ऑडियो वीडियो तैयार कर ग्रुप में प्रेषित किए जाएंगे।
- साईटसेवर्स संस्था द्वारा झालावाड़ एवं उदयपुर जिले में किये जा रहे ऑनलाइन अध्यापन कार्य का भी अनुसरण किया जाये।
- विषयवार साप्ताहिक कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा :-

साप्ताहिक कार्यक्रम :-

वार	कक्षा				
	1 से 2 तक	3 से 5 तक	6 से 8 तक	9 से 10 तक	11 से 12 तक
सोमवार	हिन्दी	हिन्दी	हिन्दी	हिन्दी	हिन्दी अनिवार्य
मंगलवार	अंग्रेजी	अंग्रेजी	अंग्रेजी	अंग्रेजी	अंग्रेजी
बुधवार	गणित	पर्यावरण	सामाजिक विज्ञान	सामाजिक विज्ञान	हिन्दी साहित्य
गुरुवार	हिन्दी	गणित	गणित	विज्ञान	राज्य विज्ञान
शुक्रवार	गणित	पर्यावरण	विज्ञान	गणित	इतिहास
शनिवार	गृहकार्य	गृहकार्य	संस्कृत	संस्कृत/G.K.	गृहकार्य

- कम से कम एक इकाई की संपूर्ण शैक्षणिक सामग्री एवं प्रश्नोत्तर को एक बार में साझा किया जायेगा।

मॉनीटरिंग :-

विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु ऑनलाईन शिक्षण कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु निम्नानुसार उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाते हैं :-

1. परिषद मुख्यालय के उत्तरदायित्व :-

- ✓ नोडल एजेन्सी/स्टेट रिसोर्स ग्रुप से दैनिक कार्यक्रमानुसार E-Content प्राप्त कर दैनिक रूप से जिला स्तरीय समूह में सामग्री साझा करना।
- ✓ विद्यार्थी फीडबैक प्रपत्रों का विश्लेषण एवं कार्यक्रम में आवश्यकतानुसार सुधार करना।

2. जिला कार्यालय के उत्तरदायित्व :-

- ✓ जिले के समस्त ब्लॉक/विद्यालयों के श्रेणीवार/कक्षावार समूहों को गठन।
- ✓ राज्य स्तरीय ग्रुप से प्राप्त सामग्री का ब्लॉक स्तरीय ग्रुप में साझा करना।
- ✓ शिक्षकों द्वारा फीडबैक प्रपत्र की पूर्ति।

3. ब्लॉक कार्यालय के उत्तरदायित्व :-

- ✓ ब्लॉक के समस्त विद्यार्थियों को उनकी श्रेणी एवं कक्षा के अनुसार समूह में जोड़ना।
- ✓ जिला कार्यालय से प्राप्त सामग्री को विद्यालय/कक्षावार समूह में साझा करना।
- ✓ समस्त शिक्षकों से फीडबैक प्रपत्र की पूर्ति।

- नोट:-गतिविधि संचालन के दौरान कोविड-19 के सन्दर्भ में चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देशों का पूर्णता से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।



(बाबू लाल मीणा)

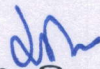
राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा
एवं आयुक्त, स्कूल शिक्षा

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/20-21/13787

दिनांक : 17/8/2020

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं आयुक्त, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
7. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
8. समस्त सीबीईओ एवं पीईईओ।
9. कार्यक्रम प्रबंधक, साईटसेवर्स, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।



(डॉ० रश्मि शर्मा)

अति० राज्य परियोजना निदेशक